(6)

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

संख्या: लो. नि. (ए)-बी(2)-7/94 तारीख: शिमला-2 30-8-2000

आधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियन्ता (यान्त्रिक) (वर्ग-I, राजपत्रित) के पद के लिये इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग अधीक्षण अभियन्ता (यान्त्रिक) (वर्ग-I, राजपत्रित) भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम, 2000 है ।

(2) ये नियमें राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

निरसन और व्यावृतियां: 2. (1) अधिसूचना संख्या: पी. डी. डब्ल्यू-1 (ए)-(3)2/81, तारीख 28.9.83 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्कस डिपार्टमैन्ट सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (मैकेनिकल) क्लास-I (गैजेटिड) रैक्रूटमैंट एण्ड प्रमोशन रूल्ज 1983 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम-3(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

वित्तायुक्त एवम् सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्या: पी. डब्ल्यू. डब्ल्यू (ए) बी (2)-7/94 तारीख: शिमला-2 30-8-2000
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2 को उनके पत्र संख्या: 1-3/92-पी. एस. सी. तारीख 29.8.98 के सन्दर्भ में ।
2. प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला-1.
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ।
4. वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
5. नियन्त्रक मुद्रण एवम् लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।

6. महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश शिमला-3।
7. उप महालेखाकार (ए. एण्ड. ई.), हिमाचल प्रदेश, शिमला-3।
8. अतिरिक्त प्रतियां (20)।

संयुक्त सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार I.

—x—

उपाबन्ध-"क"

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियन्ता (यान्त्रिक) (वर्ग-I, राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम :	अधीक्षण अभियन्ता (यान्त्रिक)
2. पदों की संख्या:	1 (एक)
3. वर्गीकरण :	वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान :	14300-400-15900-450-
5. चयन पद अथवा अचयन पद:	चयन
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु:	लागू नहीं।
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं:	लागू नहीं
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं:	आयु:- लागू नहीं शैक्षणिक अर्हताएं:- लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अ ऐसी और अवधि के लिए विस्तार जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी परिस्थितियों में और लिखित कारण से आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता:	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न ह पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा:	अधीशाषी अभियन्ता (यान्त्रिक), ज यांत्रिक इन्जीनियरिंग में उपाधि या इसके समकक्ष उपाधि रखते हं और साथ में जिनका 7 वर्ष का सेवाकाल या 31.3.98 तक की लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो सम्मलित करके 7 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, में से प्रोन्न द्वारा, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड/हिमाचल प्रदेश के अन्य विभागों/अन्य राज्य सरकारों/भारत सरकार से समतुल्य वेतनमान में कार्यरत समरूप पद पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31.3.1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों [illegible] के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया [illegible] के पश्चात की गई थी। परन्तु यह कि उन सभी मामलों में [illegible] कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31.3.98 [illegible] के आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपरोक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिनपर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने के विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

(स्पष्टीकरण)।- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो या जिसे एक्स-सर्विस मैन (रिजर्वेशन आफ वेकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31.3.98 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि ऐसे पद पर तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती एवम् प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु 31.3.98 तक की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा की गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना।	जैसी की सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाए।
13.	भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा की विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।	लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित आयु सीमा में	लागू नहीं।
16. आरक्षण:	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा:	सेवा में प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति:	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

(Authoritative English Text of this department notification No. PBW-A-B(2)7/94 dated 30-8-00 as required under clause (3) of Artical of 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Public Works

.....

No. PBW-A-B(2)7/94 dated Shimla-171002 the 30-8-2000

Notification

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor Himachal Pradesh in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Superintending Engineer (Mechanical)(Class-1, Gazetted) in the Departmnet of Himachal Pradesh Public Works Department as per Annexure-A attached to the notification, namely:-

1. Short title commencement: 1(1) These Rules may be called the Himachal and Pradesh Public Works Department Superintending Engineer (Mechanical) (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings 2. (1) The Himachal Pradesh Public Works Department, Superintending Engineer (Mechanical) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1983, notified vide Notification No. PBW01-A(3)2/81, dated 28.9.83 and as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under these rules so repealed under Sub Rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By Order

Kr. Shamsher Singh
FC-cum-Secretary(PW) to the
Government of Himachal Pradesh

(2)

Endst.No. PBW-A-B(2)7/94 Dated Shimla-171002 the 30-8-2000

~~Copy for~~ information and n/a to:-

1. The Secretary,H.P.Public Service Commission,Shimla-171002. This is with reference to his letter No. 1-3/92-PSC dated 29.8.98.
2. The Engineer-in-Chief,H.P.Public Works Department,Shimla-1.
3. All the Chief Engineers,HPPWD.
4. Senior Law Officer (Law Deptt.) H.P. Sectt. Shimla-2.
5. The Controller of H.P. Printing and Stationery Press Shimla-5 for publication in the Rajpatra and supply of a copy of the Rajpatra.
6. The Accountant General Himachal Pradesh,Shimla-3.
7. Dy.Accountant General Himachal Pradesh(A&E)Shimla-3.
8. Spare copies(20 Nos.).

Joint Secretary(PW)to the
Government of Himachal Pradesh

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDING ENGINEER (MECH.) CLASS-I-GAZETTED IN THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

1. Name of the post :	Superintending Engineer (Mechanical)
2. Number of the posts:	1 (ONE)
3. Classification:	Class-I (Gazetted)
4. Scale of pay.	Rs.14300-400-15900-450-18600.
5. Whether selection post or Non- Selection post:	Selection.
6. Age for direct recruitment:	N.A.
7. Minimum Educational and other Qualifications required for direct recruits:	Not applicable.
8. Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Age: N.A. Educational. Qualification: N.A.
9. Period of probation. if any : furhter extention for a period	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.
10. Method of Recruitment. whether by direct recruitment or by promotion. deputation. transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion failing which by deputation.
11. In case of recruitment by Promotion. deputation.transfer. grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.	By promotion from amongst the Executive Engineers (Mech.) who possess recognised degree in Mechanical Engineering or its equivalent with at least 7 years regular service or. regular combined with (continuous adhoc rendered upto 31.3.98) service.if, any. failing which by Deputation from amongst the incumbents of holding the analogous posts

(4)

working in the identical pay scale from HPSEB / other H.P. Govt. departments/ other State Governments/Govt. of India.

1. In all cases of promotion, the continue adhoc service rendered in the feeder post upto 31.3.98 if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with provisions of the Recruitment and Promotion Rules. provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis upto 31.3.98) ,followed by regular service/ appointment in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less.

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person (s)junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation: The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demoblized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) - Similarly, in all cases of confirmation, counting adhoc service rendered on the feeder post upto 31.3.98, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service if the adhoc appointment/promotion against such post had been made after proper selection and in accordance with provisions of R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendred upto 31.3.98 shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition :	As may be constituted by the Government from time to time.

13.Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. As required under the

14.Essential requirement for a direct recruitment. N.A.

15.Selection for appointment to post by direct recruitment : N.A.

16.Reservation : The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for schedule castes/ Schedule Tribes/other backward classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17.Departmental Examination : Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules. 1997.

18. Power to Relax . Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so. it may, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts. higher posts

***